Date - 16 May 2022

मुख्य चुनाव आयुक्त

- वर्तमान में, 'चुनाव आयुक्त' के रूप में कार्यरत राजीव कुमार जल्द ही 'मुख्य चुनाव आयुक्त' (सीईसी) के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

'भारत के चुनाव आयोग' के बारे में:

- 'भारत का चुनाव आयोग' भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग के लिए संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों को संचालित करने, निर्देशित करने और नियंत्रित करने और मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अनुसार, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत के चुनाव आयोग की संरचना:

चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त शामिल होंगे।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
- जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
- राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं।
- चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी):

- हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां अन्य चुनाव आयुक्तों के समान होती हैं। आयोग के सभी मामलों का निर्णय सदस्यों के बीच बहुमत से किया जाता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ मिलते हैं।

कार्यकाल:

- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक है। वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है।

इस्तीफा:

- चुनाव आयुक्त किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।

सीमाएं:

- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की गई है।
- संविधान सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी पद पर फिर से नियुक्त किए जाने पर रोक नहीं लगाता है।

Yojna IAS

लौह उत्खनन: तमिलनाडु

- तमिलनाडु में हाल के उत्खनन कार्य की कार्बन डेटिंग ने इस बात का प्रमाण दिया है कि भारत में 4,200 साल पहले लोहे का इस्तेमाल किया गया था।
- पहले देश में लोहे के इस्तेमाल का प्रमाण 1900-2000 ईसा पूर्व और तमिलनाडु के लिए 1500 ईसा पूर्व माना जाता था।
- तमिलनाडु में लोहे के उपयोग के नवीनतम प्रमाण 2172 ईसा पूर्व के हैं।

निष्कर्ष:

- यह उत्खनन तमिलनाडु में कृष्णागिरी के निकट मयिलादुम्पराई में हुआ था।
- मयिलादुम्पराई माइक्रोलिथिक (30,000 ईसा पूर्व) और प्रारंभिक ऐतिहासिक (600 ईसा पूर्व) युग की सांस्कृतिक सामग्री के साथ एक महत्वपूर्ण स्थल है।
- अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्षों में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि तमिलनाडु में नवपाषाण काल 2200 ईसा पूर्व से पहले शुरू हुआ था। यह निष्कर्ष दिनांकित स्तर से नीचे पाए गए 25 सेमी ऊँचाई के सांस्कृतिक निक्षेपों के अध्ययन पर आधारित है।
- पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों को केवल नवपाषाण काल के अंत में पेश किया गया था, न कि लौह युग जैसा कि व्यापक रूप से माना जाता है।

ऐतिहासिक महत्व:

कृषि उपकरणों का उत्पादन:

- लौह प्रौद्योगिकी के आविष्कार से कृषि औजारों और हथियारों का उत्पादन हुआ, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति से पहले एक सभ्यता के लिए आवश्यक उत्पादन संभव हो गया।
- जहां भारतीयों द्वारा पहली बार तांबे का इस्तेमाल किया गया था (1500 ईसा पूर्व), सिंधु घाटी में लोहे के इस्तेमाल के कोई ज्ञात रिकॉर्ड या सबूत नहीं हैं?

वनों की कटाई में उपयोगी:

- वनों की कटाई तब हुई जब मानव ने घने जंगलों को साफ करने और कृषि कार्य के लिए भूमि को साफ करने के लिए लोहे के औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि कृषि भूमि में घने जंगलों को साफ करना और तांबे के औजारों का उपयोग करना मुश्किल होता।

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन:

Yojna IAS

- 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक प्राप्त नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि लौह युग का सांस्कृतिक उद्भव 2000 ईसा पूर्व में हुआ था।
- लगभग 600 ईसा पूर्व लौह प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का आधार बनाया जिससे तमिल ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ।
- माना जाता है कि तमिल ब्राह्मी लिपियों की उत्पत्ति लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन वर्ष 2019 में एक ऐतिहासिक खोज ने इस अवधि को 600 ईसा पूर्व में रखा।
- इस डेटिंग या अवधि ने सिंधु घाटी सभ्यता और तमिलगाम/दक्षिण भारत के संगम युग के बीच की खाई को पाटने का काम किया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच समझौता ज्ञापन

- हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

MoU का उद्देश्य:

- यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- समझौता ज्ञापन के तहत, यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय का समर्थन करने के लिए सिस्टम में अपने वैश्विक अनुभवों से प्राप्त विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

पीएमएफबीवाई योजना:

- योजना फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है, जो किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करती है।
- अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते में ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य कर दी गई है, जबकि अन्य किसान स्वेच्छा से इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

दायरा:

- सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं|

Yojna IAS

अधिमूल्य:

- इस योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किया गया निश्चित बीमा प्रीमियम / प्रीमियम सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 5% है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में वार्षिक प्रीमियम 5% है।
- किसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत को सब्सिडी के रूप में राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।
- हालांकि, इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम सब्सिडी का 90% पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

कवरेज:

- इस योजना में हर साल 5 करोड़ से अधिक किसान सम्मिलित हों।
- आधार सीडिंग (इंटरनेट नेटवर्क के प्रसारण के लिए आधार को लिंक करना) नेटवर्क में जुड़ाव में तेजी लाने में मदद करता है।
- रबी 2019-20 के कारोबार में स्थिति के हिसाब से पेश किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना **2.0:**

- योजना के अधिक कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 खरीफ सीजन में पीएमएफबीवाई में आवश्यक सुधार किए गए थे।
- इस संशोधित PMFBY को अक्सर PMFBY 0 भी कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

पूरी तरह से स्वैच्छिक:

- इसके तहत वर्ष 2020 की खरीफ फसल से सभी किसानों का नामांकन शत-प्रतिशत स्वैच्छिक है।

सीमित केंद्रीय सब्सिडी:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत गैर-सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दरों पर केंद्र सरकार के हिस्से को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

राज्यों को अधिक स्वायत्तता:

- केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को PMFBY को लागू करने के लिए व्यापक छूट दी है और उन्हें इसमें किसी भी अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं को चुनने का विकल्प भी दिया है।

Yojna IAS

आईसीई गतिविधियों में निवेश:

- अब इस योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

पीएमएफबीवाई के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग:

फसल बीमा ऐप:

- यह किसानों को आसान नामांकन सुविधा प्रदान करता है।
- किसी भी घटना के 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करता है।

नवीनतम तकनीकी उपकरण:

- फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है।

पीएमएफबीवाई पोर्टल:

- भूमि अभिलेखों के एकीकरण के लिए पीएमएफबीवाई पोर्टल शुरू किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना:

- यह किसानों को उनकी खेती के लिए आसान और सरल प्रक्रियाओं के साथ बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त और समय पर नकद ऋण प्रदान करने के लिए वर्ष 1998 में शुरू किया गया था और अन्य आवश्यकताओं जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि कृषि आदानों की खरीद, निकासी और उत्पादन की जरूरतें थीं। सहायता प्रदान करने के लिए पेश किया गया था।
- इस योजना को वर्ष 2004 में संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया गया था।

उद्देश्य:

किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रदान किया जाता है:

- फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताएं।
- कटाई के बाद का खर्च।
- किसान परिवार की उपभोग जरूरतों के लिए कृषि-ऋण विपणन।

Yojna IAS

- कृषि परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि से संबंधित गतिविधियाँ, जैसे डेयरी मवेशी, अंतर्देशीय मत्स्य पालन आदि।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे पंप सेट, स्प्रेयर, डेयरी मवेशी आदि के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता।

क्रियान्वयन एजेंसी:

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की खरीद और परिवार के लिए घर के निर्माण और गांव में कोल्ड स्टोरेज सुविधा स्थापित करने के लिए अल्पावधि ऋण सहायता नहीं दी जाती है।

उपलब्धियां:

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रोत्साहन की घोषणा की है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS